Rules and Regulations
नियम एवं उपनियम

1. सोसायटी का नाम :–**SANATAN SEVA FOUNDATION**

2. सोसायटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पूरा डाक पता **S.D. No. J21, Ward No. 8, Near Power House, Safidon, Jind, Haryana-126112**

3. सोसायटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जिलों में अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी।

4. सदस्यताः

(4.1). समिति में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाताओं सहित 1000 से कम सदस्य होंगे ।

(4.2). पात्रताः सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्तिः–

(क) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए।

(ख) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए।

(ग) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करनी चाहिए तथा सदस्य के रूप मे बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नही होने चाहिए।

(घ) दिवालिया तथा विकृत चित नही होना चाहिए।

(ड़) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्वदोष नही होना चाहिए।

(4.3). सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्गः सोसायटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार` विभिन्न प्रवर्गो की होगीः

(क) **संस्थापक सदस्य** – सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया हैं । संस्थापक सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी । संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएगें तथा यदि सोसाइटी के सदस्यों कि कुल संख्या 1000 से अधिक है तो निर्वाचन के बिना के कोल्लिजियम सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रहेगें ।

(ख) **आजीवन सदस्य** – किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा । आजीवन सदस्य कि कुल संख्या 499 से अधिक नहीं होगी। **तथा कार्यकारिणी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों की संख्या 21 से अधिक नही होगी। इस समय समिति में आजीवन 07 सदस्य तथा प्रथम कार्यकारिणी भी 07 पदाधिकारी / कार्यकारिणी सदस्यों की होगी।**

(ग) **साधारण सदस्य** – सोसाइटी के 490 से अधिक साधरण सदस्य नहीं होगे जो उनकी वार्षिक अंश दान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरंतर

Distt. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Babita

उपभोग करेगा। साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात दो से पॉच वर्ष (वर्षो) जैसी भी स्थिति हो, कि अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पुरा होने पर सोसइटी के सदस्य के रूप में जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नहीं किया जाता है। वर्तमान में जितने भी सदस्य है वें सभी साधारण सदस्य है।

(ख) **अवैतनिक सदस्य–** शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मेरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लाभप्रद के रूप समझी जाती है या जिसमे सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मेरिट कि सेवाए अर्पित कि है या जो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंश दान फीस के भुगतान के बिना शामिल नहीं किया जा सकता है । ऐसे अवैतनिक सदस्यों कि संख्या 8 से अधिक नहीं होगी । अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(4.4). सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदानः

(1) सोसाइटी कि सदस्यता के लिए दरे तथा वार्षिक अंश दान निम्न अनुसार होगा जो सोसाइटी द्वारा अपनी उपनिधियों में निर्णात किया जाए

कम संख्या	सदस्य के किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1	संस्थापक सदस्य	3100	शून्य
2	आजीवन सदस्य	2100	शून्य
3	साधारण सदस्य	1100	500
4	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

- सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वे दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चुक कर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि 30 जून के बाद निलम्बनधीन के रूप में समझी जाएगी तथा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के हकदार नहीं होगे

- वार्षिक सदस्यता शुल्क/अंशदान के भुगतान में चुक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशी पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करवाकर समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है परन्तु वह बाकि के वितीय वर्ष में निर्वाचनों में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता।

(4.5). सदस्यों की प्रवेष प्रक्रियाः–

(क) नये सदस्यो का प्रवेश, समिति के सभी शासकीय सदस्यों की सहमति से किया जाएगा।

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Babita

(ख) अगर कोई सदस्य समिति का सदस्य बनना चाहता है एक सदस्यता आवेदन पत्र भर कर उसके साथ एक आई डी प्ररूफ संगलन करके समिति के मुख्य दफ्तर में जमा करवाना होगा।

(ग) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।

(घ) शासकीय निकाय आवेदन को स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाध्य नही होगा।

(ड़) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसायटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(4.6). पहचान पत्र सभी सदस्यों के लिएः–

(क) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य का सोसायटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महासचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(4.7). सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं: –

(क) सोसायटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित सोसायटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे;

(ख) अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसायटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक कर्ता नही है;

(ग) सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसायटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यकृत वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरिक्षण करने का अधिकार होगा।

(घ) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसायटी को सूचित करेगा, जो सोसायटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसायटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगा।

(4.8). सदस्यता की समाप्तिः सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसायटी के सदस्य के रूप में नही रहेगाः

(क) सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने पर ।

(ख) सोसायटी के लक्ष्यो तथा उद्देश्यो के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर

(ग) ऐसे सदस्य के सोसायटी की निधियों का वितीय गबन का दोषी पाए जाने पर;

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Babita

(घ) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ।

(ड) सदस्यता फीस या वार्षिक अंशदान न चुकाने

(च) समिति की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार आम सभा को होगा व इस आशय का 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव ही मान्य होगा ।

(छ) सदस्यता समाप्ति का कार्य अनुभाग 22 के अनुसार किया जाएगा ।

5. **सामान्य निकायः**

(क) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसायटी के सामान्य निकाय का सदस्य होगा तथा सोसायटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसायटी के किन्ही देयों के भुगतान के बकायों में नही रहता है।

(ख) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नही किया जाएगा।

6. **सामान्य निकाय की बैठकें:**

(ग) सोसायटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि, सोसायटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसायटी के किसी अन्य कारोबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसायटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

(घ) सोसायटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणो सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसायटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(ड़) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारोबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(च) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों, का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(छ) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के [illegible] प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यधीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नही होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारोबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा।

Distt. Registrar of Societies
हरियाणा सरकार GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसायटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिषत उपस्थित है।

(ज) सामान्य निकाय की सभी बैठको की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पन्नों में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगे।

7. सामान्य निकाय की शक्तियां, कार्य तथा कर्तव्यः—

(क) सोसायटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यो का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।

(ख) पॉलिसी मामलो का निर्णय करना जैसे कि सोसायटी के नाम का परिवर्तन, सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसायटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसायटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हों।

(ग) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।

(घ) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्त के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

8. शासकीय निकायः

(8.1) **संयोजनः** सोसायटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 03 पदाधिकारियों एंवम 7 सदस्यों का होगाः

(क) प्रधान
(ख) सचिव
(ग) कोषाध्यक्ष
(घ) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित 07 कार्यकारीणी सदस्य है।

(8.2) **शासकीय निकाय का निर्वाचनः**

(क) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

(ख) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची [illegible] करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवा[illegible] लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकद[illegible] सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

GOVT. OF HARYANA

प्रधान	**सचिव**	**कोषाध्यक्ष**
		Babita

निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करें।

(ग) मत के लिए हकदार सोसायटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लडने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसायटी द्वारजारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ड) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसायटी का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

(च) सोसायटी के पदाधिकारी सोसायटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नही होगे।

(8.3) **शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्त को भरना:–**

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्त सोसायटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों मे से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नही की जाती है।

(8.4) **शासकीय निकाय की बैठक:–**

(क) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी।

(ख) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana GOVT. OF HARYANA

प्रधान प्रदीप कुमार

सचिव

कोषाध्यक्ष Babita

की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक की सकता है।

(ग) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नही है, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दर जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यो के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेगें।

(घ) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगे। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नही है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्ही दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(ड़) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगें।

(8.5) **शासकीय निकाय की शक्तियां, कार्य तथा कर्तव्य—**

(क) शासकीय निकाय सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसायटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसायटी की निधियों तथा परिसम्पतियां के फैलाव के लिए संशक्त किया जाएगा;

(ख) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

(ग) शासकीय निकाय सोसायटी से सम्बन्धित या मे निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परिसम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हे ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसायटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे।

(घ) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसायटी के सर्वोतम हित में उचित समझे, में निधिया निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसायटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

(ड) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सौंपे जाएं की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना।

(च) सीविनहीन रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसायटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

District Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

प्रधान Pradeep Kumar

सचिव

कोषाध्यक्ष Babita

(छ) बाहरी स्त्रोत से कतिपय कार्य करना अर्थात् सोसायटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।

(8.6) **शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कार्य तथा कर्तव्यः–**

(1) **प्रधानः**

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय–समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे मे शामिल नही किया जाता है।

(घ) सोसायटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कार्य करना सुनिश्चित करना।

(ङ) हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कडी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(2) **सचिवः**

(क) सोसायटी के सभी कार्यो को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसायटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं।

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, समीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना।

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना।

(घ) सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों की कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।

(ङ) सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसायटी के

Distt. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Babita

लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखा

(च) सोसायटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिक्षण करना।

(छ) सोसायटी के सम्पूर्ण कार्यो की देखभाल करने में तथा सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यो को प्राप्त करने मे प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।

(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाए।

(झ) सोसायटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार जहां कही अपेक्षित हो उसे लगाना।

(ट) सोसायटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रो तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे है

(ठ) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।

(ढ) सोसायटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अगले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वितीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसायटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नही किया जाता है।

(3) **कोषाध्यक्षः**

(क) सोसायटी के सभी वितीय संव्यवहारों तथा सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित, तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चो के रिकार्ड रखना,

(ख) प्रत्येक वर्ष वितीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसायटी के लेखे प्राप्त करना,

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Babita

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसायटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।

(घ) सोसायटी की सभी लेखा पुस्तकों, वितीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

(ङ) समिति द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज अकेडमी एवं अन्य संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, प्रबन्ध विकास एवं विस्तार के बारे में समिति को सलाह देना।

(च) समिति के सदस्यों के बहुमत के अनुसार समिति की चल–अचल सम्पति खरीदने का अधिकार होगा।

(छ) समिति द्वारा किये गये कार्यो के बारे मे सलाह देना।

(ज) समिति में वार्षिक लेखा–जोखा का निरीक्षण करना।

(8.7) **शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति–** शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नही रहेगें:

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर,
(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप मे नही रहा है,
(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

(8.8) **सोसायटी के नियोजन से अपवर्जनः**

(क) सोसायटी का कोई भी सदस्य सोसायटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन मे नही रहेगा,

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यो का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसायटी के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा,

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसायटी नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

(8.9) **सोसायटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संषोधन–** सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जायेगी जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 या इसके अधीन बनाए गए नियमों मे विहित की जाए।

Dist. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
हरियाणा सरकार
GOVT. OF HARYANA

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

प्रदीप [signature] [signature] Babita

(8.10) **सोसायटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन–**

(क) सोसायटी की आय के स्त्रोतो में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल होंगी। सोसायटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्ही परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

(ख) शासकीय निकाय वित वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसायटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

(ग) सोसायटी के बैंक खाते किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक में खुलवाए जांएगे और बैंक खाता समिति की कार्यकारिणी के द्वारा नियुक्त किए व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा, बैंक से राशि निकलवाने के लिए समिति की कार्यकारिणी के द्वारा तय किए व्यक्ति को अधिकार होंगे।

(घ) सभी परिसम्पति तथा निधियॉ सोसायटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसायटी मे निहित होगी।

(ड़) सोसायटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएगें (अर्थात् डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वितीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों मे नकद मे की जा सकती हैं।

(8.11) **सोसायटी के लेखेः**

(क) सोसायटी का खंजाची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमे सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसायटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ख) सोसायटी की लेखा पुस्तकें सोसायटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

(ग) सोसायटी के वार्षिक लेखे सोसायटी के किन्ही दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

Distt. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान	सचिव	कोषाध्यक्ष
प्रदीप कुमार	Shams	Babita

(घ) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए प्रत्येक वित वर्ष के लिए सोसायटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरण का दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नही होगा।

(8.12) **सामान्य मुद्राः**

सोसायटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कही यह अपेक्षित हो लगाई जाएगी।

(8.13) **सोसायटी का विघटनः**

(क) सोसायटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसायटी की प्रकिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

(ख) सोसायटी के विघटन की घटना मे, सोसायटी की कोई भी परिसम्पति सदस्यों को नही मिलेगी और न ही वितरित की जाएगी।

(ग) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोडी गई सम्पत्तियां/परिसम्पतियां यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यो तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसायटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी।

(8.14) **समिति का विलयः—**

समिति स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों वाली दूसरी स्थापित समिति में विलय कर सकती है तथा विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी अन्य समिति का अपनी समिति में विलय कर सकती है।

(8.15) **संविधान व नियमावली पारित करनाः—**

समिति का उक्त संविधान व नियमावली पूर्ण बहुमत से आम सभा की मिटिंग में सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 16.06.2025 को पारित किए गये प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया। अतः हम सभी सदस्य इसको तसदीक करते है

Distt. Registrar of Societies
हरियाणा सरकार
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Babita

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम व पते इसके नीचे अभिदत हैं । सोसाइटी को उपविधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते है।

कम स0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	उम्र	व्यवसाय	फोटो	हस्ताक्षर
1	परदीप कुमार	पुत्र श्री हुकम चंद	अनिल चक्की, वार्ड नं 07, सफीदों, जिला जींद, हरियाणा - 126112	47	समाज सेवी	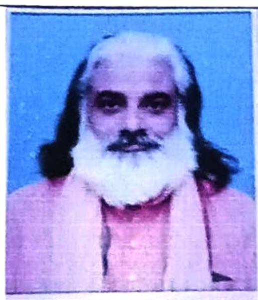	प्रदीप कुमार
2	योगेश शर्मा	पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा	मंढाणा (48), मंधना, जिला भिवानी, हरियाणा - 127032	26	समाज सेवी		[illegible]
3	बबीता रानी	पत्नी श्री परदीप कुमार	अनिल चक्की, वार्ड नं 07, सफीदों, जिला जींद, हरियाणा - 126112	44	समाज सेवी		Babita
4	गुरजीत सिंह	पुत्र श्री साहब सिंह	सिंघपुरा, सिंघपुरा (53), जींद, हरियाणा - 126112	44	समाज सेवी		Gurjeet Singh

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

प्रधान — प्रदीप कुमार

सचिव — [illegible]

कोषाध्यक्ष — Babita

5	विनोद कुमार	पुत्र श्री सुरज भान	रामनगर, जींद, हरियाणा - 126112	43	समाज सेवी		Vinod Kumar
6	नीलम	पत्नी श्री गुरजीत सिंह	सिंघपुरा (53), जींद, हरियाणा - 126112	40	समाज सेवी		[illegible]
7	अरविंद	पुत्र श्री धनपाल जैन	मकान नं. -418, वार्ड नं. - 15, बंसल अस्पताल के पास, शिव कॉलोनी, सफीदों, जींद, हरियाणा - 126112	55	समाज सेवी		Arvind
8	रनजीत सिंह	पुत्र श्री मालक सिंघ	वार्ड नं. 7, हाउस नं. 103, रंगड़ा वाला मोहल्ला, सफीदों, जींद, हरियाणा - 126112	40	समाज सेवी		Ranjeet Singh
9	उमेश	पुत्र श्री सुरेन्द्र	मंढाणा (48), मंधना, जिला भिवानी, हरियाणा - 127032	22	समाज सेवी		Umesh

Distt. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

10	संदीप कुमार	पुत्र श्री विनोद कुमार	वार्ड नं. 02, साहनपुर रोड, सफीदों, जिला: जींद, हरियाणा - 126112	34	समाज सेवी		संदीप

Certified to be true copy of memorandum of Association of

SANATAN SEVA FOUNDATION

S.D. No. J21, Ward No. 8, Near Power House, Safidon, Jind, Haryana-126112

(प्रधान) **(सचिव)** **(कोषाध्यक्ष)**

I know all the above persons personally and they have signed this document in my presence.

Garvit Sharma
B.Com, LLB
(Advocate)

Advocate/Sarpanch/Gazeted Officer

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

Babita

प्रधान **सचिव** **कोषाध्यक्ष**